

2015/00267
 हमीद / अंतराल 14/2015

दिनांक

आज्ञा पत्र

8-4-20

प्रस्तुत वकील अपील/अपील
 पत्रावली न्यायिक कार्य स्थगित रखा जा रहा है।
 आज्ञानसार दिनांक 27.5.20

27.5.20

DUE TO LOCKDOWN FILE PUT
 ON DATE AT 29.7.20

READER

29-7-20

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ न आगत
 न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व
 आज्ञानसार दिनांक 7-10-20 को पेश हो

7.10.20

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ न आगत
 न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व
 आज्ञानसार दिनांक 9.12.20 को पेश हो

9-12-20

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ न आगत
 न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व
 आज्ञानसार दिनांक 12.2.21 को पेश हो

10-2-21

पत्रावली पेश। वकील अपील/अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि
 आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
 अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
 कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील/अपील न रजिस्टर्ड नोटिस
 पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील/अपील को प्रति गम्भीर
 नहीं है। फलस्वरूप अपील/अपील/अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
 की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फिलहाल शुमार होकर नम्बर
 से उभर होकर पाद तारीख तकमिल दाखिल दफ्तर हो।



भू-प्रबंध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर (कैम्प बुन्दुवुं)